

ANNOUNCEMENT REGARDING SALARY AND SERVICE OF WORKING
GUEST TEACHERS

824 **SH. AFTAB AHMED, M.L.A.:-** Will the Education Minister be pleased to state:

- a) Whether it is a fact that the announcement/agreements regarding salary and service of Guest Teachers working in Education Department has been fulfilled by the Government and
- b) If so, the details thereof?

REPLY

SH. KANWAR PAL, EDUCATION MINISTER, HARYANA

Sir, a statement is placed on the table of the house.

**Statement to be laid on the table of house in connection with
Un-Starred Assembly Question No. 824.**

- a) Yes Sir.
- b) The State Government has enacted an Act namely 'The Haryana Guest Teacher Service Act 2019' vide notification dated 12th March 2019. In the said Act, the security of service had been provided to the guest teachers and guest teachers will continue to work till the age of superannuation i.e. upto the age of 58 years. Further, the provision had also been made in the said Act that the monthly honorarium of guest teachers shall be increased with effect from first day of January and first day of July every year in the same proportion as the Dearness Allowance granted by the government to regular employees to neutralize the inflation.

Recently, the following demands of Guest Teachers have also been fulfilled by the Government:-

- Service rules for Guest Teachers have been framed by the Government to regulate the services of Guest Teachers and the same will be notified shortly.
- The additional honorarium of Rs. 10,000/- per month will be paid to guest teacher if he is willing to be posted in a school located in Morni Educational Block or Nuh District against the vacancy.
- Necessary amendments have been made in the Teacher Transfer Policy, so that, the Guest Teachers can participate in the 'Online Transfer Drive'.

कार्यरत अतिथि अध्यापकों के वेतन एवं सेवा सम्बन्धी घोशणा

824. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. : क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

- क) क्या यह तथ्य है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के वेतन एवं सेवा सम्बन्धी घोशणाओं/अनुबंधों को सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है; तथा
- ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री हरियाणा

श्रीमान जी, विवरण विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

अतारांकित प्र न संख्या 824 के सन्दर्भ में विवरण विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

क) हां श्रीमान जी।

ख) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.03.2019 के तहत 'हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम 2019' बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत अतिथि अध्यापकों को सेवा की सुरक्षा प्रदान की गई थी तथा अतिथि अध्यापकों सेवा निवृत्ति की आयु अर्थात् 58 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। साथ ही, इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि अतिथि अध्यापकों के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई से उसी अनुपात में वृद्धि की जायेगी जिस अनुपात में सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते जोकि मुद्रास्फीति को निष्प्रभावी करने के लिये दिया जाता है।

हाल ही में सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों की निम्नलिखित मांगों को भी पूरा किया गया है:—

- अतिथि अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा सेवा नियम बनाए गए हैं जिन्हें भीघ्न ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।
- यदि कोई अतिथि अध्यापक मोरनी शिक्षा खण्ड या नूंह जिले में स्थित किसी भी विद्यालय में नियुक्ति का इच्छुक होगा उन्हें प्रतिमाह 10000 रु का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।
- शिक्षक स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन किए गए हैं ताकि अतिथि अध्यापक 'ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राईव' में भाग ले सकें।

INDEX**Un-Starred Question No. 824****Listed on 14.03.2022**

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply (in English)	1-2
2.	Reply (in Hindi)	3-4